राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4308/2025

सज्जना देवी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर जोन, जोधपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, मुख्यालय, जैसलमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.09.2025
आदेश की दिनांक : 07.10.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री धीरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

समक्ष :– पूनम दरगन, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी वर्तमान में पीटीआई के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोकला जिला जैसलमेर में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पीटीआई के पद पर वर्ष 2019 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोकला, जैसलमेर में हुई थी (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी सीकर जिले की मूल निवासी है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का 12 वर्ष का एक बच्चा है, जो दिव्यांग है (अनुलग्नक–4)। जिसके एक हाथ और एक पैर में दिक्कत है, जिसकी देखभाल सही प्रकार से नहीं हो रही है और उसकी पढाई भी बाधित हो रही है। उनका कथन है कि पहले बच्चे की देखभाल अपीलार्थी के सास–ससुर करते थे। लेकिन वे काफी वृद्ध होने के कारण अकसर बीमार रहते है। जिसकी देखभाल अपीलार्थी को ही करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के सास–ससुर एवं बच्चे को उनके सहयोग की जरूरत है, जबकि परिस्थितिवश ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। अपीलार्थी नियुक्ति तिथि से आज तक

लगातार ग्रामीण क्षेत्र में ही अपने निवास स्थान से 36 कि.मी. दूर स्थित विद्यालय में अत्यंत परेशानी के बावजूद भी अध्यापन के साथ विद्यालय व्यवस्था के कार्य में संलिप्त है। अपीलार्थी की पारिवारिक समस्या को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण जैसलमेर से सीकर, लक्ष्मणगढ़ तहसील के आंतरौली, छिछास, सिगोदड़ा, खुदी बड़ी एवं सनवाली नजदीकी विद्यालय में करवाने के लिए प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 13.06.2024 एवं दिनांक 15.07.2025 (अनुलग्नक–1 एवं 2) को प्रस्तुत किया गया। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया गया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी द्वारा दिये गये अभ्यावेदन अनुसार पीटीआई ग्रेड–III के पद पर लक्ष्मणगढ़ तहसील जिला सीकर के किसी भी रिक्त पद पर अपीलार्थी को लगाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(पूनम दरगन)
सदस्य (न्यायिक)